"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी 2007—फाल्गुन 1, शक 1928

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

अधिसूचना

फा. क्रमांक 1610/डी-388/21-ब/छ. ग./07.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 153 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 9119/डी-967/21-ब/छ. ग./06 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

सरल क्रमांक 7 के कालम नंबर (4) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न स्थापित किया जाए-

"जिला एवं सत्र न्यायाधीश"

Raipur, the 15th February 2007

NOTIFICATION

F. No. 1610/D-388/XXI-B/C. G./07.—In exercise of the powers conferred by Section 153 (1) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), in consultation with the High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby makes the following amendment in this department's Notification No. 9119/D-967/XXI-B/C. G./06 dated 07-06-06, namely :-

AMENDMENT

In said Notification,—

For the entry in column No. (4) of serial No. 7, the following shall be substituted, namely ;-

"District and Sessions Judge"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.